रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 1992/चैत्र 12, 1914
No. 153] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 1992/CHAITRA 12, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1992

सा. का. नि. 394(अ).—भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (फीस और भत्ते) विनियम, 1992 है।

(2) ये भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं : इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "अधिनियम" से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) अभिप्रेत है ;

(ख) "परिषद" से अधिनियम के अधीन गठित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अभिप्रेत है ;

(ग) "कार्यकारी समिति" या "समिति" से अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन गठित कार्यकारी समिति या समिति अभिप्रेत है ;

(घ) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन निर्वाचित परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ङ) उपाध्यक्ष से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा

(ङ) के अधीन निर्वाचित परिषद का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(क) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य और अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन समितियों के सहयोजित सदस्य अभिप्रेत है ;

(छ) "सक्षम प्राधिकारी" से परिषद का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ज) "सचिव" से अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया परिषद का सचिव अभिप्रेत है।

3. (1) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को तथा (परिषद के सदस्यों से भिन्न) समितियों के सदस्यों को देय फीस।

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को तथा (परिषद के सदस्यों से भिन्न) समितियों के सदस्यों को (जो परिषद के सचिव और अधिकारी न हों) परिषद और उसकी समितियों के किसी अधिवेशन में उपस्थिति के लिए प्रति दिन प्रत्येक अधिवेशन के लिए फीस उस दर पर संदत्त की जाएगी जो परिषद की कार्यकारी समिति समय-समय पर विनिश्चित करे;

परंतु ऐसे सदस्य की दशा में जो केन्द्रीय या राज्य सरकार का पदाधिकारी है, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से यात्रा और दिराम व्यय का दावा उस सीमा तक पर सकेगा जिस तक वह सुसंगत सरकार से उसका दावा नहीं करता है।

(2) अध्यक्ष और अन्य सदस्य तथा (परिषद के सदस्यों से भिन्न) समितियों के सदस्यों के भत्ते का संदाय।

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों तथा (परिषद से भिन्न समितियों के सदस्यों को उक्त फीस के अतिरिक्त जिसके लिए वे विनियम 3(1) के अधीन हकदार हों यात्रा और दैनिक भत्ता केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के समय-समय पर यथासंशोधित यात्रा भत्ता नियमों के अधीन लागू उच्चतम दर पर संदत्त किया जाएगा।

4. परिषद् के सचिव और अन्य अधिकारियों को यात्रा और दैनिक भत्ता उन दरों पर जो संदत्त किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार के तत्समान श्रेणी के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के समय समय पर यथासंशोधित यात्रा भत्ता नियमों के अधीन लागू है।

5. परिषद का अध्यक्ष स्वतः नियंत्रक प्राधिकारी होगा।

6. अन्य मामलों में अध्यक्ष हकदार व्यक्तियों को कोई बातानुकूलित यात्रा मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

7. इन विनियमों के अन्तर्गत न आने वाले मामले : बावत विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष कोई यात्रा/बातानुकूलित यात्रा मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा यदि कार्य परिषद के हित में है :

परंतु ऐसे मामलों को पूर्व उदाहरण के रूप में नहीं लिया जाएगा और उन पर प्रत्येक के गुणागुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

8. इन विनियमों के अन्तर्गत न आने वाले यात्रा और दैनिक भत्ते संबंधी सभी मामले भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के पृथक यात्रा और दैनिक भत्ता नियमों के बनाए जाने तक आवश्यक परिवर्तन सहित केन्द्रीय सरकार के यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार होंगे।

9. यात्रा और दैनिक भत्तों की दरें वही होंगी जो तत्समान श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को लागू है और भारत सरकार द्वारा इन नियमों के पुनरीक्षण के परिणाम-स्वरूप पुनरीक्षित हो जाएंगी।

[सं. फा. 4/3/91 वी सी आई/1]

प्रो. (डा.) रामा कुमार वी., सचिव

VETERINARY COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 1992

G.S.R. 394(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 66 of the Indian Veterinary Council Act, 1984, (52 of 1984) the Veterinary Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Veterinary Council of India (Fees and Allowances) Regulations, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. Definitions.—In these regulations unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984);

(b) 'Council' means the Veterinary Council of India constituted under the Act;

(c) 'Executive Committee', or 'Committee' means the Executive Committee or Committee constituted under sub-section (1) of section 12 of the Act;

(d) 'President' means the President of the Council elected under sub-section (4) of section 3 of the Act;

(e) 'Vice-President' means the Vice-President of the Council elected under sub-section (4) of Section 3 of the Act;

(f) 'Member' means a Member elected or nominated under section 3 of the Act and the members of the Committees co-opted under sub-section (1) of section 12 of the Act;

(g) 'Competent Authority' means the President or in his absence the Vice-President of the Council;

(h) 'Secretary' means the Secretary of the Council appointed under sub-section (1) of section 11 of the Act;

3. (1) Fees to be paid to President and other Members and the Members of the Committees (other than the Members of the Council)

The President and other members and the members of the Committees (other than members of the Council) (not being the Secretary or officers of the Council) shall be paid by the Council for attendance at any meeting of the Council and its Committees, a fee per day for meeting at such rate as the Executive Committee of the Council may, from time to time, decide :

Provided that in the case of a member who is an official of the Central or State Government, he/she may claim travelling and halting expenses from the Veterinary Council of India to the extent that he/she does not claim from the relevan Government.

(2) Payment of travelling and halting allowance to the President and other members and members of the Committees (other than the members of the Council).

The President and other members and the members of the Committees (other than the members of the Council), shall, in addition to the fees, to which he/she may be entitled under Regulation 3(1), be paid his/her Travelling and Daily Allowance at the highest rate applicable to Central Government employees of the first Grade under Travelling Allowance Rules of the Central Government, as amended from time to time.

4. The Secretary and other officers of the Council shall be paid their Travelling and Daily Allowances at the rates as applicable to Central Government employees of the corresponding grade under Travelling Allowance Rules of the Central Government, as amended from time to time.

5. The President of the Council shall be the self Controlling Authority.

6. In other cases, the President shall be the Authority competent to sanction air/air-conditioned travel, to entitled persons.

7. Under special circumstances in regard to cases not covered under these regulations, the President shall be the authority competent to sanction air/air-conditioned travel if the work is in the Council's interest :

Provided that such cases shall not be taken as precedents and be considered on individual merits.

8. All other matters pertaining to Travelling and Daily Allowances, not covered by these Regulations shall mutatis mutandis be as per Travelling Allowance Rules of the Central Government, pending formulation of separate Travelling and Daily Allowances Rules of the Veterinary Council of India.

9. The rates of Travelling and Daily Allowances shall be at the same rates as applicable to the Government employees of corresponding grades and shall stand revised consequent upon the revisions of these Rules by the Government of India.

[No. F. 4-3/91-VCI/1]

PROF. (DR.) RAMA KUMAR V., Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992